

- अल्प संख्यिक वर्ग / सामान्य वर्ग / अन्य पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के पिता / अभिभावक की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से ₹0 2,00,000/- वार्षिक से अधिक न हो तथा इस सम्बंध में समक्ष अधिकारी / तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र जो 1 जुलाई 2013 के बाद का बना हुआ हो मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य है, तथा प्रमाण पत्र की जांच स्वयं इंटरनेट पर करते हुए जांच प्रति अवश्य लगाये।
- माता-पिता या पति या संरक्षक जैसा भी लागू हो, के नौकरी में होने की दशा में उनके नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त अतिरिक्त आय को ₹0 10/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर घोषित करते हुए शपथ पत्र के माध्यम से देना होगा।
- छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है, तथा प्रमाण पत्र की जांच स्वयं इंटरनेट पर करते हुए जांच प्रति अवश्य लगाये।
- सम्बंधित जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है तथा प्रमाण पत्र की जांच स्वयं इंटरनेट पर करते हुए जांच प्रति अवश्य लगाये।
- छात्रावास में रह रहे छात्र/छात्रा सम्बंधित छात्रावास के प्रवोस्ट द्वारा जारी आवासीय प्रमाण पत्र मूल रूप में संलग्न करें।
- बचत खाते की पास बुक की छायाप्रति।
- वर्तमान में अन्तिम प्रोफेशनल परीक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका की छायाप्रति। (एम0बी0बी0एस0 2013/बी0डी0एस0 2013 बैच के नवप्रवेशित छात्र इंटरमीडिएट अथवा उससे उच्च शिक्षा की अंक तालिका संलग्न करें)
- वार्षिक जमा शुल्क की छायाप्रति।
- अभ्यर्थीयों द्वारा हाईस्कूल एवं इंटर की अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- हलफनामा निर्धारित प्रारूप पर। जिसका प्रारूप कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय वेबसाइट पर छात्रवृत्ति वेबसाइट www.scholarship.up.nic भी डालने का कष्ट करें जिससे छात्र छात्रवृत्ति सूचना को उपरोक्त वेबसाइट पर देख सके।

कृपया उपरोक्त सूचना को चिकित्सा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्राथमिकता के आधार पर अपलोड करने का कष्ट करें